

परियोजना का नाम :- जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रुड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद हरिद्वार में रुड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इस वन प्रभाग के अन्तर्गत कोटावली कक्ष संख्या-9 में 14.64 है0 अवनत वन भूमि के रूप में उपलब्ध है तथा वर्तमान में उक्त अवनत वन भूमि में किसी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है 14.64 है0 अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी
चिड़ियापुर रेंज
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार


प्रभागीय वनाधिकारी,
हरिद्वार वन प्रभाग,
हरिद्वार